तृतीय अनुसूची
THIRD SCHEDULE
प्रपत्र एम0एम0–1
खनन पट्टे के लिये आवेदन पत्र (नियम–6)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक .....

(समय) ..... बजे
(स्थान).....
(दिनांक) ..... को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से ..... को पूर्ण किया गया।

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करेते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः ..... रूपया और .....रूपया जमा कर दिया जायेगा।
3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता
(दो) क्या प्रार्थी गैर सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म का निकाय है :
(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता
(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों कि राष्ट्रिकता और उनके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का सीन

(ग) सार्वजनकि कम्पनी है तो राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूजी का प्रतिशत तथा उनके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता

21 वां (ड़) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई मिली–जुली अवस्था में हो, प्रार्थना कर्ता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय तथा कारोबार

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है .....

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके सम्बन्ध में खनन पट्टा अपेक्षित है :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा घृत है और यदि घृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत (वर्किंग सर्किल) का नाम, धन (रजि) और पातन क्षेत्र (फेलिंग सीरीज, यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानो के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्ट्रटिंग प्वांइट) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरीयों और उसकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तदृनुसार यथासम्भ्व ठीक–ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये।

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो।

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो।

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो।

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग सीापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र दिया जाना चाहिये।

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

21 वां (बारह–क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।

(तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिये संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण

(चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहें

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तग्रज्ञ यथार्थ नक्शें और प्रतिभूति जमा आदि हैं, देने को तैयार हूं/है, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान..... भवदीय

दिनांक .....

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये। 17– इस प्रकार प्रतिस्थापित उक्त नियमावली के प्रपत्र

प्रपत्र एम0एम0–1 (क)
(20 वां संशोधन)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (नियम 6 क देखिये)

दिनांक .....

(स्थान).....दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

(दिनांक) .....
के माध्यम से .....

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमवाली, 1963 के अधीन खनन पट्टे से नवीकरण के लिये निवेदन करता हूं/करते हैं। उक्त नियमावली के नियम –6–क के उपनियक (1) के अधीन देय 1000.00 (एक हजार रूपये) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।

अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता
2. क्या प्रार्थी गैर सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म का निकाय है।
3. यदि प्रार्थी :–

   (क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता
   (ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों कि रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता
   (ग) सार्वजनकि कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूजी का प्रतिशत तथा उनके निगमन का स्थान
   (घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता
   (ड़) यदि प्रार्थना पत्र बालू और मौरम के लिये है तो प्रत्येक प्रार्थी की जाति और निवास स्थान के पते का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

4. प्राथी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। (21 वां संशोधन)
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीकरण वांछित है।
   (ख) पूर्व में स्वीकृत नवीकरण के ब्योरे, यदि कोई हो,
7. अवधि, जिसके लिये खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है।
8. क्या नवीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके मांग के लिये किया गया है।
   (क) क्षेत्र, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया
   (ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखड के सीमांकन के लिये पर्यात्प होना चाहिये)
   (ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न)
   (घ) विद्यमान या सृजित मलवे के विवरण यदि कोई हो
9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?
10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो क्या उनमें खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी और अधिभोगी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।
11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :–
   (क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,
   (ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या
   (ग) साथ–साथ आवेदन कर रहा हो :
12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :
   (क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो, और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकडों पर आधरित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना

   (ख) क्षेत्र के भू–विज्ञान एवं अश्म–विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम आदि मशीन द्वारा खनन का विस्तार
   (ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना और
   (घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत्र, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया–कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी सम्मिलित हैं, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि–पुनरूधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्योरे दशायें।

टिप्पणी – इसकी आवश्कता नदी तल के बालू, मौरम, बजरी इत्यादि के लिये नहीं होगी। (21 वां संशोधन)

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाता है, अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा
14. श्रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा :–
    (क) भारत में विनियोग के लिये
    (ख) विदेशों में निर्यात करने के लिये,
    (ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उद्योगों को, जिसे संबंध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिऐ कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्माण किया जायेगाया कच्चे रूप में
15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्यौरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजन सहित उत्पादन के लिये चरणबद्व कार्यक्रम, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिये।
16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हो।
17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहता हों।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम, पट्टा दिये जाने या उनका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शें भी हैं, देने का तत्पर हूं/हैं।

स्थान..... भवदीय
दिनांक .....

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :–यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र एम0एम0–2
खनन पट्टों के लिये प्रार्थना–पत्र का रजिस्टर (नियम 5)

1. क्रम संख्या :
2. खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक :
3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ :
4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा हो तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया :
5. प्रार्थी का पूरा नाम और पता :
6. उस भूमि का ब्यौरा जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो :–
   (क)तहसील (ख)परगना (ग) ग्राम (घ) प्लाट नं0 (ड) क्षेत्रफल
7. भूमि का कुल क्षेत्रफल :
8. उन खनिजों का विवरण जिन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है :
9. चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया गया प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारंम्भिक व्यय :
10. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :
11. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया गया :
12. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण :
13. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :
14. अभ्युक्ति :

प्रपत्र एम0एम0 3

खनन पट्टे का आदर्श (**Model**) प्रपत्र – (नियम–14)

यह अनुबन्ध आज ..... दिनांक ..... को ..... उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''राज्य–सरकार'' कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्रहय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेगे) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो .....(व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे ''पट्टेदार कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्थ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासन और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगे'') दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक व्यक्ति हो : ..... (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) तथा (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) जिसे आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासन और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे, दूसरा पक्ष)

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकरण फर्म हो : (भागीदार का नाम और) आत्मज ..... निवासी ..... जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एक्ट सं0 –9) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... नगर में ..... पर है।) (जिन्हें आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो :– (कम्पनी का नाम) ..... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकरण कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है, (पता) (जिसे आगे ''पट्टेदार'' कहा कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहयहो, उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष।

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 (जिस आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि ..... एकड़ के निमित खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के पास ..... रू0 की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा ..... रूपये की धनराशि खनन पट्टे के हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये हैं और पट्टेदार/पटट्दारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों, को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है .....(यहां खनिज या खनिजों का उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट

अनुसूची में '' उक्त खनिज'' कहा गया है) की समस्त खाने, तल्प (Bed) संदरसीम्द (Veins) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पड़ी हो या हो, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनकों इनके सम्बन्ध में, उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहेतु हुये प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो .... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबंधों के अधीन हो, और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टादार/पट्टादारों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है, और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच मे परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनूसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का क्षेत्रफल और स्थान ..... जो जिला ..... व समस्त भूखण्ड ..... तहसील ..... और ..... थाना ..... के अन्तर्गत (परगना) ..... में स्थान ..... पर (क्षेत्र अथवा क्षेत्रों का विवरण) ..... स्थित है और जिसकी भूकर सर्वेक्षण संख्या ..... है तथा, जिसमें ..... क्षेत्र है, जो यहां संलग्न नक्शें में चिन्हित है और उसे ..... से रंजित (बवसवनतमक) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :–

उत्तर में .....

दक्षिण में .....

पूर्व में .....

पश्चिम में .....

एतद्पश्चात जिसे ''उक्त भूखण्ड'' कहा गया है।

भाग–2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो इनमें से अधिक हो, भुगतान करना –(1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा :

प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो धनराशि इसमें से अधिक हो, देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

(2) अपरिहार्य भाटक की दर और उसका भुगतान करने की रीति : इस भाग के खण्ड (1) में उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे के अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे :–

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1. 2. 3.				

(यहां पर रीति, जिसके अनुसार और वह समय जब अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जाना चाहिये, लिखिये)

अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीति :– इस भाग के खण्ड (1) के नियमों के अधीन रहते हुये पट्टेदार पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और रेसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करें,

पट्टे पर दिये हुय क्षेत्र से उसके/उनके द्वारा हटाया गया/हटाये गये किसी खनिज/किन्हीं खनिजों के सम्बन्ध में उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची के तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) साधारण बालू, मौरंग, बजरी एवं बोल्डर की पट्टा धनराशि की दर एवं भुगतान की रीति :– साधरण बालू एवं मौरंग के पट्टेदार पट्टे आगामी वर्षों में पट्टा धनराशि पूर्ववर्ती वर्ष के भुगतान की गयी धनराशि के 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से जमा करेगा। साधारण बालू, बजरी, बोल्डर जो मिली–जुली अवस्था में हो, के पट्टेदार पट्टे के आगाम वर्षों में पट्टा धनराशि का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 25 प्रतिशत की बड़ी हुई दर से करेगा। यदि पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज पर देय रायल्टी पट्टा धनराशि से अधिक आती है तो पट्टेदार द्वारा उस धनराशि का भुगतान करना होगा जो इसमें से अधिक होगी। (21 वां संशोधन)

(5) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :– इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कसौटी के राज्य सरकार को ..... पर और नीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करें।

(6) स्वामित्व के संगणन की रीति :– उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह वे परिहवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी वयक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो एम0एम0–11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। निमय 66 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या प्रपत्र एम0एम0–11 में उल्लिखित खनिज खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप की जांच करता है। पट्टेदार प्रतिवर्ष जिलाधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही के पन्द्रह दिनों के भीतर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में प्रपत्र एम0एम0–12 में तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा और यदि विवरण नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रू0 400.00 (रू0 चार सौ मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(7) प्रपत्र एम0एम0–11 का भुगतान के अधार पर दिया जाना चाहिये :– पट्टेदार जिलाधिकारी कार्यालय से प्रपत्र एम0ए0–11 की पुस्तिका, जैसा नियमावली के नियम 70 (1) अपेक्षित है, भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(8) नियम समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :– यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार, को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण–पत्र , जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसी प्रकार से वसूल की जायेगी, जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

भाग – 3
सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबंध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने से पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथा स्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :– पट्टेदार इस अपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के अधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय, और उस दशा मे किसी ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिये ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनाओं और और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास–स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं जो उक्त भूमि मे या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खडे किये गये हों, स्थापित किये गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।

(3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :– अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयत्र, भवन, संरचनाओं तथा अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उसके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटायें जायं, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये, बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना :– यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन– पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों और अपरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से किया जा सकता है, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :– इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जोने के लिये अपेक्षित प्रत्येक नोटिस अक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जायेगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिये नियुक्त करे/करें और इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पत्ते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जायेगी,

जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उनके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे चुनौती दी जायेगी।

(6) स्टाम्प शुल्क :– स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित समामित्व प्रतिवर्ष .... रूपये है। इसके साक्ष्य के रूप में यथास्थापन–पत्र एतद्धीन आयी हुई रीति से ऊपर उल्लिखितत दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए ओर उनककी ओर से –

1– 1–

2– 2–

3–

की उपस्थिति में ..... द्वारा हस्ताक्षरित की उपस्थिति में पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा हस्ताक्षरित।

प्रपत्र एम0 एम0 4
खनन पट्टों का रजिस्टर – (नियम 20)

1. क्रम संख्या
2. पट्टेदार का नाम
3. पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता
4. प्रार्थना–पत्र का दिनांक
5. (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक
   (ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक
6. भूमि का ब्यौरा
   (क) तहसील
   (ख) परगना
   (ग) ग्राम
   (घ) प्लाट नं0
   (ड़) क्षेत्रफल
7. कुल क्षेत्र, जिसके लिये पट्टा दिया गया हो
8. खनिज जिसके/जिनके लिये पट्टा दिया गया हो
9. निश्चित अपरिहार्य भाटक
   (क) खनिज

(ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक
(ग) कुल अपरिहार्य भाटक

10. पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक
11. अवधि, जिसके लिये पट्टा दिया गया हो
12. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
13. ऐसे परिवर्तन के ब्यौरों के साथ परिवर्तन का दिनांक , जो खनन पट्टे धारक का नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो
14. पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक
15. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
16. अभ्युक्तियां

प्रपत्र–एम0एम0–5

(17 वां संशोधन)

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञाप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर– (नियम–25)

नीलाम/निविदा/नीलाम निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर :

1. क्रम संख्या
2. क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या
3. घोषणा का दिनांक
4. तहसील
5. परगना
6. ग्राम
7. गाटा (प्लाट) संख्या
8. क्षेत्रफल
9. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
10. नीलीम/निविदा/नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना
    (क) आदेश संख्या
    (ख) आदेश का दिनांक
    (ग) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र एम0एम0–6

खनन के लिये नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र–(नियम 29)

यह अनुबन्ध आज ..... दिनांक .....19..... को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''राज्य सरकार'' कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिनी भी समझे जायेगें), एक पक्ष और

यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : ..... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) जिस आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासन तााि प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक हों :– ..... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा .... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिन्हें आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्ग यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझें जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हों : .....(भागीदार का नाम और पता) आत्मज निवासी .... आत्मज ..... निवासी .....जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट सं0 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म .....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में करोबार कर रहें हैं और जिसका निबद्व कार्यालय ..... नगर में ....पर है, (जिन्हें आगे ''लाइसेन्सधारी'' कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो : .....(कम्पनी का नाम) जो ..... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय ..... में है (पता) निबद्ध जिसकों आगे ''पट्टेदार'' कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेगें) दूसरे पक्ष के बीच कहा गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमवावली, 1963 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम में पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का ..... रू0 राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए ..... वर्ष/वर्षों के निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 मे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में .... एकड़ो के लिये स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूति स्वरूप ..... रूपये की धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमे दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारो ंकी ओर से भुगतान किये जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किये जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान ओर पट्टान्तरित करता है।

..... (यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जायें) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में ''उक्त'' ''खनिज'' कहा गया है), की समस्त खान, तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुय प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों सिवाय इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक ..... से .....वर्ष की आगामी अवधि के लिये पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्द्वारा दिये गए पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लेग और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबंधों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं, और राज्य सरकार एमद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्ट का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला..... की तहसील..... और थाना ..... के अन्तर्गत परगना ..... में स्थान ..... पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रों का विवरण) स्थित है और उसकी भू–कर सर्वेक्षण संख्यायें ..... हैं तथा जिसमें .... क्षेत्रफल है, और जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और सीमाये निम्नलिखित है :–

उत्तर में .....

दक्षिण में .....

पूर्व में .....

तथा

पश्चिम में .....

और जिस एतद्द्वारा ''उक्त भू–खण्ड'' कहा गया है।

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व

स्वामित्व की धनराशि : (1) पट्टेदार इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में उसके/उसके द्वारा हटाये गये सभी ..... के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे।

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक, जब किश्त दिया जाएगा
1	2	3
1. 2. 3. 4.		

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) (इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किश्तों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को ..... पर सरकारी कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा चालान की एक प्रति जिला अधिकारी को भेजी जायेगी।

स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन–पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाण–पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबंध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने से पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने की लिये यथाचित अवसर दिया जायेगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे : – (2) पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकन`पर उक्त अवधि की सम्पति पर उसी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त

न कर दिया जाय) और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति से कम से कम एक कलेण्डर मास में अपने की लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी मशीन, संयत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।